

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 184/2017

दायर दिनांक 11.07.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. मंगनाराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल, उम्र-43साल, निवासी-मल्लाबासनी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. लक्ष्मणराम पुत्र भागूराम, 2. कँवरी पत्नी खेमाराम, 3. भँवरलाल पुत्र खेमाराम, 4. चवली पुत्री खेमाराम, 5. भोमाराम पुत्र भागूराम, 6. भँवरी पुत्री स्वर्गीय सायरी, 7. लाल पुत्री स्वर्गीय सायरी, 8. सम्पति पुत्री स्वर्गीय सायरी, 9. विमला पुत्री स्वर्गीय सायरी, 10. डाली पुत्री स्वर्गीय सायरी, 11. चन्दा पुत्री स्वर्गीय सायरी, 12. भागू पुत्र उमाराम, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-अगरोट, केराप, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 13. जगदीशप्रसाद पुत्र दानाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-डाबड़ा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत

घोषणा खतेदारी,

अन्तर्गत धारा- 88 R.T.Act.

व

सपत्ति धारा-136 L.R. Act.


सहायक कलक्टर
डीडवाना

राजस्व-वाद, संख्या 184/2017
 दायर दिनांक 11.07.2017, निर्णय दिनांक 17.05.2018
 कानाराम, वगैरा बनाम् छोदूराम, वगैरा।

उपस्थित:-

1. वादी उपस्थित।

--: निर्णय ::-

दिनांक 17.05.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा डाबड़ा में खसरा नम्बर 162 रकबा 24.12 बीघा अवस्थित है।

प्रार्थना वादी है कि-

शरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 162 रकबा 24.12 बीघा में चुंका के स्थान पर सही नाम सायरी पुत्री भागूराम मेघवाल प्रतिस्थापित किया जावे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 11 विधिक वारिशान् के नाम से खातेदारी घोषित की जावे।


वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 14 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ-पत्र, नक्शाट्रेश, जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 ग्राम डाबड़ा खसरा नम्बर 162 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रतिलिपि पेश है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प-चौलूखों में पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया। वादे ने दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वादी ने निवेदन किया है कि, वादग्रस्त भूमि के दर्ज खातेदार की मृत्यु हो चकी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

चूँकि, वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार की मृत्यु हो चुकी मगर उनके विधिक वारिशान् की सूची पेश नहीं की है इस लिहाज से वाद वादी इस कदर डिक्री किया जाना उचित है कि, मृतक खातेदार के नाम के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच की जा कर ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

अतः वाद वादी निम्न आदेशानुसार डिक्री किया जाता है।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना

राजस्व-वाद, संख्या 184/2017
दायर दिनांक 11.07.2017, निर्णय दिनांक 17.05.2018
कानाराम, वगैरा बनाम् छोटूराम, वगैरा।

--: आदेश :-

हस्व दावा शरहद मौजा डाबड़ा में वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 24.12 बीघा भूमि का नामान्तरकरण बाबत तहसीलदार डीडवाना को आदेश दिया जाता है कि, मृतक खातेदार के वारिशान् की विस्तृत जाँच कर, नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)

R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-चौलूखाँ

निर्णय, आज दिनांक 17.05.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-चौलूखाँ

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांक:—184—2017 / रीडर / 2018 /

दिनांक 17.05.2018

प्रेषित:—


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय:—निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत
घोषणा खतेदारी,
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act.
व
सपठित धारा—136 L.R. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंनाराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल, उम्र—43साल, निवासी—मल्लाबासनी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. लक्ष्मणराम पुत्र भागूराम, जाति—मेघवाल, निवासी—अगरोट, केराप, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—चौलूखॉ

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांक:-184-2017 / रीडर / 2018 /

दिनांक 17.05.2018

प्रेषित:-


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत
घोषणा खतेदारी,
अन्तर्गत धारा- 88 R.T.Act.
व
सपठित धारा-136 L.R. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंगाराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल, उम्र-43साल, निवासी-मल्लाबासनी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. लक्ष्मणराम पुत्र भागूराम, जाति-मेघवाल, निवासी-अगरोट, केराप, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, वशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-चौलूखाँ